रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 2007/ज्येष्ठ 22, 1929

No. 707] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 2007/JYAISTHA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2007

का.आ. 948(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, गुजरात कहा गया है) का गठन करती है जिसमें गुजरात राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे जो निम्नलिखित हैं :–

1. श्री पी.के.घोष, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च में ट्रस्टी, अहमदाबाद	अध्यक्ष
2. डॉ. पी. ए. जोशी, डीन, फैक्लटी आफ टैक्नालाजी डी डी आई टी, यूनिवर्सिटी, नांदेड	सदस्य, परियोजना प्रबंधन और पर्यावरण गुणता
3. श्री संजय त्यागी, भारतीय वन सेवा सदस्य-सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर	सदस्य-सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए ।

4. प्राधिकरण गुजरात इस आदेश में गुजरात सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. गुजरात राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता गुजरात सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार गुजरात राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, गुजरात का गठन करती है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:–

1. डॉ. के. यू. मिस्त्री, विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नालाजी फार एडवांस स्टडीज एण्ड रिसर्च, वल्लभ विद्यानगर	अध्यक्ष, जोखिम आकलन, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन और प्रक्रिया प्रबंधन
2. श्री सी. एन. पाण्डेय, निदेशक, गुजरात इकोलाजीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, गांधी नगर	सदस्य, वानिकी एवं वन्यजीव वनस्पतिजात एवं प्राणिजात संरक्षण और प्रबंधन

3. डॉ. टी. पी. सिंह, निदेशक भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसएप्लीकेशन एण्ड जिओ-इन्फारमेटिक, गांधी नगर	सदस्य, पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधनों में परियोजना प्रबंधन
4. श्री भारत पी. जैन, सदस्य सचिव, गुजरात क्लीनर प्राडक्शन सेंटर, गांधी नगर	सदस्य, पर्यावरण गुणता
5. डॉ. एम.आई.पटेल, प्रिंसीपल, एम एन कॉलेज, विसनगर, उत्तर गुजरात, जिला मेहसाना	सदस्य, जीवन विज्ञान
6. श्री हार्दिक शाह, जूनियर टैक्नीकल ऑफिसर एवं अवर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर	सदस्य

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, गुजरात का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, गुजरात ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, गुजरात सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. गुजरात राज्य सरकार, एस ई ए सी गुजरात के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता गुजरात राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/23/2007-आई ए-II(I)]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2007

S.O. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Gujarat (hereinafter referred to as the Authority, Gujarat) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Gujarat as under :

1. Shri P. K. Ghosh, IAS (Retd.) Trustee in Consumer Education and Research Centre, Ahmedabad	Chairman, Environment Policy, Management and Public Administration
2. Dr. P. A. Joshi Dean Faculty of Technology, DDIT University, Nadiyad	Member, Project Management and Environment Quality
3. Shri Sanjiv Tyagi, IFS Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Gandhi Nagar	Member Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Gujarat shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Gujarat shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Gujarat in this order.

5. The State Government of Gujarat shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Gujarat as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Gujarat, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Gujarat (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

1. Dr. K. U. Mistry Head of Deptt. & Professor, Institute of Science & Technology for Advance Studies & Research, Vallabha Vidyanagar	Chairman, Risk Assessment EIA and Process Management
2. Shri C. N. Pandey, Director Gujarat Ecological Education & Research Foundation, Gandhi Nagar	Member, Forestry and Wildlife, Flora and Fauna Conservation and Management

3.	Dr. T. P. Singh, Director Bhaskaracharya Institute of Space Application & Geo-Informatics, Gandhi Nagar	Member, Project Management in Environment and Natural Resources.
4.	Shri Bharat P. Jain Member Secretary, Gujarat Cleaner Production Centre. Gandhi Nagar	Member, Environment Quality
5.	Dr. M. I. Patel, Principal, M. N. College Visnagar, North Gujarat, District Mehsana	Member, Life Sciences
6.	Shri Hardik Shah Jr. Technical Officer & Under Secretary, Forests and Environment Department, Government of Gujarat, Sachivalaya, Gandhi Nagar	Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Gujarat shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Gujarat shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Gujarat shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Gujarat shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Gujarat and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory function. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shal be paid by the State Government of Gujarat as per State rules.

[No. J-11013/23/2007-IA.II(I)]

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.